

कार्यालय , निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
शिविरा/माध्य/निप्र/डी-१/२१०१/ा/९९-२०००/५३००५

दिनांक 14.04.16

परिपत्र

विषय— परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा के मानदण्ड एवं दायित्व ।

विभागीय परिपत्र दिनांक 07.05.15 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये। उक्त निर्देश परिपत्र के क्रम में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12, 10, 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों (व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापक ग्रेड गा. लेवल गा एवं ट) के लिये निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते हैं:-

१ संस्था प्रधानः-

- (अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम — विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12, एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)
- (ब) न्यून परीक्षा परिणाम — विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से न्यून एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोट:—यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकनः—राज्य के आर्द्ध विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिये 150, कक्षा 6 से 8 के लिये 105, कक्षा 9 से 10 में 100 तथा कक्षा 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 100 अपेक्षित है।

अन्य विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिये 150, कक्षा 6 से 8 के लिये 105, कक्षा 9 से 10 में 80 तथा कक्षा 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 60 अपेक्षित है।

विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015–16 से 2017–18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्थाप्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले विद्यालयों को अपना गत सत्र का शेष नामांकन लक्ष्य वर्तमान सत्र 2016–17 में प्राप्त करना होगा।

1 शिक्षकः—

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम** — शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन किये जा रहे संबंधित विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन किये जा रहे संबंधित विषय के परीक्षा परिणाम में 100 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12, एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम** — शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन किये जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत अथवा न्यून एवं 10 अध्यापन किये जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापकों (लेवल I अथवा लेवल II जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड Dी प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोटः—यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकनः— विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015–16 से 2017–18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्थाप्रधान को विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किये गये हैं। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को अपना गत सत्र का शेष नामांकन लक्ष्य वर्तमान सत्र 2016–17 में प्राप्त करना होगा।

- 3 क्रियान्वयन की रूपरेखा:- उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा:-
- 3.1 संस्था प्रधान / शिक्षक का, सत्र में (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यावरथार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में समिलित की जाएगी।
 - 3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को समिलित नहीं किया जाएगा।
 - 3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है के परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
 - 3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम (सभी कक्षा-वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
 - 3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान का जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिक-रसायन संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा) तो परिणाम के लिये दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - 3.6 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ समिलित किया जाएगा।

4 संस्कृत अधिकारी:-

4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक) द्वारा दिया जाएगा।

वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मण्डल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड IIA (लेवल II एवं लेवल I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक) द्वारा की जाएगी।

5 समय सारिणी:-

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम एवं सामान्यतः नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है अतः उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप कार्यवाही गिम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना।

5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना— 15 नवम्बर से पूर्व

5.2.2 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु रांबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना— 15 दिसम्बर से पूर्व

5.2.3 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को पहुचाना —15 जनवरी से पूर्व

5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान— 26 जनवरी को शाला के गणतान्त्र दिवस समारोह में

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उवित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये प्रेषित करेंगे।

5.4 न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

5.4.1 न्यून परीक्षा परिणाम / नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संरथा प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण -30 जुलाई तक

5.4.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करना- 10 अगस्त तक

5.4.3 कारण बताओं नोटिस का प्रत्यूत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 30 अगस्त तक

5.4.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना - 10 सितम्बर तक

5.5.5 आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना - 25 सितम्बर तक

5.5.6 व्यक्तिगत सुनवाई - 10 अक्टूबर तक

5.5.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना- 15 अक्टूबर तक

6 उक्त निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।


(बी.एल स्वर्णकार)
आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर

2 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

2 समस्त उप निदेशक भाध्यमिक/प्रारंभिक

3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक

4 वरिष्ठ सम्पादक शिविर प्रकाशन, बीकानेर

5 समस्त संरथा प्रधान

6 रक्षित पत्रावली



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर